|T>r. B. N. Antani.] paper to please the mighty foreign powers, our friends.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House करने के बाद ग्रभी ग्रापने जो समाचार पढ़ा stands adjourned till 2-30 p.m.

The House then adjourned for lunch at fiftytwo minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri M. P. Bhargava) in the Chair.

ANNOUNCEMENT RE ARRESTS OF MPs IN KUTCH SATYAGRAHA

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I have to inform Members that Chairman has received the following communication dated the 28th April, 1968 from District Superintendent of the Police, Kutch:— "Shri N. K. Shejwalker, Member of Rajya Sabha, is arrested on 28-4-68 at 10.30 near village hrs. Dhrabana six miles north of Khavda in Kutch for offences u/s 143, 145, 188 IPC. He is sent to Khavda under judicial custody."

I have also to inform Members that Chairman has received the following communication dated the 29th April, 1968 from the Judicial Magistrate, First Class, Khavda:—

"Narayan Krishnarav Shejwalker, Member arrested today and convicted for offence under sections 143 and 145 Indian Penal Code and sentenced to 7 days simple imprisonment for offering satyagraha near Khavda. He is convicted under section 188, Indian Penal Code for making breach of the District Magistrate, Bhuj and fined Rs. 25 in default to undergo 7 days simple imprisonment."

श्री सुदर सिंह भंडारी (राजस्थान) : मुझे एक निवेदन करना है ! समाचारपत्रों से मुझे यह जानकारी मिली कि श्री गेजवलकर

जी ने इस प्राहिबिटेड एरिया में 27 तारीख को प्रवेश किया। २७ तारील को प्रवेश है उसमें 28 तारीख की गिरफतारी का उल्लेख है। तो 27 तारीख को जब श्री ग्रेजवलकर जी ने इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश किया तो 27 तारीख को गिरफ्तारी न होकर 28 तारीख को क्यों हुई ? सवाल खडा होता है कि जो वहाँ सत्याग्रह इतने दिन से चल रहा है और सरकार के एक निर्णय के विरोध में पार्टियों के द्वारा इस सवाल पर सत्याग्रह किया जा रहा है, इस सत्याग्रह के दारा सरकार से यह अपेक्षा है कि वह इन सत्याग्रहियों के प्रति नियमानकल चलेगी । ग्रखवारी में जो खबर है उसके धनुसार श्री गेजवलकर जी के पहले जो जत्या गया उसको प्राहिबिटेड एरिया में प्रवेश करने के बाद कहा गया कि जो पुलिस चौकी 10 किलोमीटर दूर वनी हुई है वहाँ तक तुम्हें पैदल चल कर जाना पडेगा। जब वहाँ प्रतिबन्धित क्षेत्र है तो यह ग्राण्चर्यजनक है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र के प्रवेश के स्थान पर ही पुलिस की चौकी नहीं है गिरपतार किए जाने वाले लोगों के लिए. ग्रीर 10 किलोमं टर तक प्रतिबन्धित क्षेत्र में ग्रादमी चला जाय ते। सरकार की निगाह में इस ग्राधार पर कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता । जब संसद्-सदस्यों के प्रति यह विना पानी के विठाए रखना, अगर सत्याग्रहियों रवैया नहीं है। लोगों को शान्तिपूर्वक सरकार भावना को यह प्रोत्साहन नहीं देता बल्कि उन्हें प्रेरित करता है ऐसे रास्तों को ग्रपनाने के लिए जिनको साधारणतया प्रजातंत्रीय देश में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। कैं म्रापकी मार्फत गृह मंत्री से पूछना चाहता हं कि इस सत्याग्रह में जब श्री शोजवेलकर जी ने 27 तारीख को प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनकी गिरपतारी :8 तारीख को किस कानून के प्रन्तर्गत हुई ? 24 घंटे का समय इसके बीच क्यों बीता है, इसके बारे में निश्चित रूप से स्पष्टीकरण श्राना चाहिए। उसके साथ-साथ जो यह जानकारी मिली है कि गुजरात सरकार की तरफ से सत्याग्रहियों को धूप में विठाए रखा, विना पानी के विठाए रखा, क्या यह व्यवहार केन्द्र की सूचनाश्रों के श्रनुसार किया जा रहा है। ग्रगर यह केन्द्र की सूचनाश्रों के श्रनुसार किया जा रहा है तो यहाँ की होम सिनिस्ट्री इसके लिये सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उसने इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स कब दिए, क्यों दिए श्रीर इन इन्स्ट्रक्शन्स को देने में उसके स्पष्टीकरण देना चाहिए।

arrests

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Rajnarain.

SHRI K. S. CHAVDA (Gujarat): On a point of information. Shri Shejwalkar . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I have called Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : उपसभाव्यक्ष जी, भंडारी जी ने जो बात कहीं है उसमें मैं थोड़ा सा परिवर्धन करना चाहता हूं । 21 श्रप्रैल से सत्याग्रह शुरू है और सत्याग्रह घोषित है, उसके नियमित प्रस्ताव हैं, उसके नियमित प्रस्ताव हैं, उसके नियमित मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि . . .

SHRI K. S. CHAVDA: On a point of order. Shri Shejwalker has not taken the oath. I would like to know whether we can discuss regarding the arrest of Shri Shejwalker.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Yes, certainly we can.

SHRI SUNDAR SINGH BHAN-DARI: He has been notified as elected to the Rajya Sabha.

श्री राजनारायण : हमने तो ग्रोथ ली है।

Satyagrah

of MPs in Kutch

श्री के० एस० चाबड़ा : श्रापके बारे में बात नहीं कह रहा हूं।

श्री राजनारायसा : जरा दिमाग साफ रखो, छोटी बातों में न उलझा करो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I ruled that out.

श्री राजनारायमा : तो, श्रीमन, उसके स्पष्ट मृद्दे हैं, कच्छ एवाई को मानकर कंजर-कोट, छाडबेट, धारावनी स्रीर नगर पाकर में जो इनलेट्स गई हैं उनको सरकार हरगिज-हरगिज पाकिस्तान को न दे। इस सम्बन्ध में हमारी रिट वाखिल हैं और ग्राज भी चलने वाली हैं, इसके बाद वहाँ जाऊंगा । में आपके जरिए संसद-सदस्यों और विशेषकर कानन मंत्री और गह-मंत्री को बताना चाहता हं कि 20 तारीख को सीघे-सीघे भूज से हम खावडा गए और खावडा से फिर आगे बढे। वहाँ से करीब 15-16 मील अन्दर एक ब्रिज है जिसका नाम इंडिया ब्रिज है । मैं ग्राप्-चर्यचिकत हो गया कि उसका नाम इंडिया ब्रिज कैसे पड़ा। वहाँ के ग्रफसरों से जानकारी हासिल की तो उन्होंने कहा कि इंडिया ब्रिज हमने नाम नहीं रखा है, पता नहीं कैसे हो गया; लेंकिन जो भुज ग्रौर खाबड़ा के रहने वाले लोग हैं उनका कहना था कि भारत की सरकार इसको इंडिया ब्रिज इसलिए कहती है कि उधर की सारी जमीन भी ग्रगर पाकिस्तान को चली जाय तो भी भारत की सरकार के मन पर कोई चोट नहीं ग्राएगी । ऐसे ग्राम जनता के मन में ख्यालात हैं। हम लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया--हमारे साथ लोकसभा के सम्मानित सदस्य, हमारी पार्टी के सदर श्री एस० एम० जोशी भी थे ग्रीर लोग भी थे-- कि जो इसको इंडिया ब्रिज नाम दिया गया है वह गलत नाम दिया गया है। उसके आगे प्राहिबिटेड एरिया कहा

148

[श्री राजनारायण]

जाता है, उसके आगे पुलिस ने हमको रोका--यह 20 तारीख की बात है--हमने कहा 'क्यों', हम संविधान के मताबिक ग्रपनी मातृम्मि के किसी भी ग्रंग पर जा सकते हैं विना किसी हिचक के. बिना किसी वाधा के. तुम हमको रोक नहीं सकते हो । हमारे पास पालियामेंट कार्ड भी था. हमने कहा कि हम पालियामेंट के सेम्बर भी हैं जाने दो, हमारा नाम राजनारायण है। खैर, म्यको जाने न हो दिया, कहा कि अफसरों से बात कर लीजिए. वहाँ फीन रखा हम्रा है। उनसे बात किया तो कहा कि परिमट ले लीजिए, हमने कहा हम परमिट लेते नहीं, हम ग्रपना ग्रधिकार समझते हैं, छाडबेड की चौकी जो है उसके लिये जो एग्रीमेंट 30 जन 1965 को हम्रा है उसमें लिखा हम्रा है कि छाडवेट की चौकी को रिग्राक्यपाई करें मगर उतनी ही स्टेंथ में पुलिस कोसं रहे जितनी कि 30 दिसम्बर 1964 के समय थी, तो जाहिर है कि वह छाडबेड की चौकी हमारी है वहाँ जाने दो. हम जाना चाहते हैं। 21 तारीख को हमारा सत्याग्रह घोषित था । हम उस दिन वापस ग्राये । हम कलेक्टर से बात करते हैं तो कलेक्टर कहता है कि हमने 144 लगा दिया है। हमने कहा कि अभी 144 नहीं या अभी कैसे लगा दिया: 144 लगाने की त्रिरिक्विजिट क्या है; 144 किसी मजिस्टेट की व्हिमस पर लाग होगा नहीं । कोई अपनी मातभिम की सीमा पर जाना चाहता है तो वहाँ भी लगा दे. बाखिर 144 लगानें की कुछ ब्रादश्यक शतें हैं, उन ग्रावश्यक शतों की पृति के बिना 144 लगाना गैरकाननी है, अगर मजिस्ट्रेट नहीं माने । हम पाँच बजे, छः बजे सुबह से चले, 21 तारीख को प्रथम जत्था था, हमारा नाम था, हमारे मित्र श्री मध लिमये जो कि लोक सभा में हमारी पार्टी के नेता हैं वह थे, श्री नाथपाई थे, और थे उसी तरह से । तो जब हम लोग गये, खाबडा तक सत्याग्रह का जत्था चलबा है, करीब दो मील हम गये तो वहाँ पर बड़ी तादाद में, कोई कई सौ की तादाद में, पुलिस और हो सकता है कि कुछ मैजिस्ट्रेट रहे हों । उन्होंने कहा कि ग्राप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, 144 लग गई है; यानी खावड़ा से दो मील की दूरी पर 144 लग गई। हमने कहा कि कैसे 144 लग गई, हम ग्रापके 144 को ग्रागे मानने से इंकार करते हैं। उन लोगों ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। हम उनके घेरे की तोडकर चले ग्रौर फिर उन्होंने रोका तो हम बैठ गये. जबरदस्ती, बलपूर्वक, करीब ग्राध घंटा या पौन घंटा बैठै रहने के बाद, पुलिस ने हम लोगों को सरकारी गाडी में भेज दिया। ग्रब यह देखा जाय कि वहाँ ग्रखवार के नीम थे। मैं जानना चाहता हं, ग्राज वर मंत्री इस बात को देखें, हम कोई चोर डाक नहीं, हम कोई पाकिस्तानी नहीं, हम कोई चीनी नहीं । चीन के सामने तो घटना टेका जाता है और अपने मल्क के सत्याग्रहियों पर शान ग्रीर इंडा दिखाया जाता है। तो जो सरकार अपने मल्क के सत्याग्रहियों पर डंडे चलाती है वही सरकार विदेशी हमले के सामने घटने देकती है, यह दोनों तरह ही स्थिति को जरा माननीय सदस्य ग्रच्छी तरह से हदवंशम करें ग्रीर देखें कि बया मामला है।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हं कि अभी भी यहाँ पर बहुत से लोग गाँधी टोपी लगाते हैं श्रीर काँग्रेस की सरकार जो शरू में भ्राई वह सत्याग्रह रूपी माता की कोख से जन्मी है, सत्याग्रह-रूपी-माता के कोख से पैदा होने वाली काँग्रेस की सरकार आज सत्याग्रहियों के ऊपर डंड चला रही है, उसी माता की कोख पर लात मारी जा रही है।

उपसभाष्यक (श्री महाबीर प्रसाद भागंव) : राजनारायण जी, ग्राप तो सब नियमों को जानते हैं। श्रेजवलकर जी की भ्ररेस्ट का एक मैसेज भ्राया है उस पर भ्रापको कुछ कहना है तो कहिये।

149

उपसभाध्यक्ष (ओ महाबीर प्रसाद भागंव) : लेकिन वह एक विवाद का विषय नहीं बन सकता।

श्रो राजन रायण : मैं इसलिये यह बता रहा हूं कि शेजवलकर जी के साथ ही यह कोई नई घटना नहीं है । ग्रापके सामने ही ग्रापकी इजाजत से हमारे एक मिल ने यह बात उठा ली कि शेजवलकर जी ने शपथ नहीं ले ली इसलिये उसकी चर्चा नहीं हो सकती है।

उपसभाष्यक (श्री महाबीर प्रसाद भागव) : मैंने उस बात को नहीं माना । इसलिये ग्रापंको इरेलेवेंट नहीं एलाऊ करूंगा।

श्री राजनारायण : मैं यही चाहुंगा कि मझे इरेंलेवेंट एलाऊ न करें ग्रीर दूसरों को भी न करें भ्रौर जो सही मर्यादा है उसकी सुरक्षा करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भागंव): ग्रौर ग्राप भी नियम का पालन करें।

थी राजनारायण: मैं यह ग्रर्ज कर रहा हुं, मैं बहुत ही सफाई के साथ यह सरकार की कह देना चाहता हूं, उसी कच्छ के सवाल पर भ्राज क्या हभा, 13-14 लोग गिरफ्तार हए, पार्लियामेंट के दो मेंम्बर हैं, एक लड़के को बुरी तरह से मारा गया, सारा खुन से वह लयपय हो गया, पकड़ कर ले गये। आखिर क्या श्रपराध है, क्या दोष है कि उनको गिरफ्तार किया गया ? श्रीमन्, उसी तरह से शेजबलकर जी के साथ भी व्यवहार हुआ। हमको किसी मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोडयुस नहीं किया गया और वहाँ से 90 मील की दूरी पर गाँधीग्राम में चिलचिलाती धूप में ले जा कर छोड़ दिया गया । जहाँ गिरफ्तार हुये उस गिरफ्तारी की जगह से 90 मील दूर गांधीग्राम है वहां ले जाकर छोड़ा गया। तो बिल्कुल ग्रनियमित, बिल्कुल गैर-कानुनी किया जा रहा है, बिल्कुल संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है भ्राज वहां की राज्य की काँग्रेसी सरकार और केन्द्रीय सरकार के इशारे पर । तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आग से न खेले, यह जो आत्मसमर्पण हो रहा है, यह जो मुल्क की जमीन का ब्रात्मसमर्पण हो रहा है, ऐसा ना करे। वास्तव में देश की जनता जागी है और यह इस सत्याग्रह के मामले में आपने देखा। वह चाहती है कि भारत की सरकार ग्रागे ग्रन्तर्राष्ट्रीय टाइ-ब्युनल में मामला ले कर न जाय ग्रीर जो 1947 ई० की 15 ग्रगस्त को सीमा थी उसी को ईमानदारी के साथ मानने को तैयार हो धीर किएटिव एक्टिव वाडर मिलिटरी बनाई जाय; सिकय सजनात्मक सीमा नीति चलाई जाय ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव): ये दसरी बातें हैं।

श्री राजनारायण : तो में इतना ही ग्रदव के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरकार ग्जरात की सरकार को ग्रादेश करे कि मातृभूमि की सुरक्षार्थं जो सत्याग्रही जा रहे हैं उनके साथ यह व्यवहार न हो, यह गैर-कानुनी व्यवहार न हो, ग्रसंवैद्यानिक ब्यवहार न हो । वह राष्ट्रीयता की भावना से ब्रोतप्रोत होकर मातुभूमि की सुरक्षा के लिये अपने को न्यौछावर कर रहे हैं, अपना ह्याग कर रहे हैं, कच्ट उठा रहे हैं इसलियें उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिये, ग्रमानुषिक व्यवहार नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, एक बात मैं ग्रापके जरिये सरकार को और बता दूं कि खाबड़ा के आगे जो सड़क जाती है और जहां पर कि उन्होंने 144 लगा रखा है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रताद भागंव): श्रीमन्, ग्रापको स्थान ग्रहण करना चाहिये।

श्री राजनारायणः...जहां कि शेजवलकर जी ने कानून को तोड़ा । जब हम सत्याग्रह

arrests श्री राजनारायणी

151 Announcement re.

कान्न है उसको तोड रहे हैं लेकिन उसकी मर्यादित सजा है, जिस कानून को हम तोड़ते होनी चाहिये मगर ब्राठ-ब्राठ मील तक लोगों को दौड़ाया जाय, दस-दस मील तक लोगों को दौड़ाया जाय यह ठीक नहीं । वहां बाल् और नमक दोनों मिल कर 9 बजे के बाद हवा में उड़ने लगते हैं, लोगों की आंख खराव nature of the satyagraha. हो सकती है, लोगों के कान खराब हो सकते हैं, लोगों की तंदरुस्ती पर बुरा ग्रसर पड़ सकता है, इन तमाम चीजों को देखते हुए जब हम कानुन तोड़ते हैं तो इस सरकार को कानून तोड़ने वालों के साथ उसी ढंग से बरतना चाहिये, वह क्यों नहीं उस के तदनुरूप ही, उसके अनुसार ही सजा नहीं देती, उसको बढ़ाती क्यों है, वह उनको क्रेरदती क्यों है ? तो यह सारे के सारे प्रक्त उठे हुये है और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर यह सरकार भुज, कच्छ, खाबड़ा या छाडवेट में सत्याग्रहियों के साथ ग्रन्याय करेगी तो उसको यह समझ लेना चाहिये कि यह सत्याग्रह वहां पर नहीं चलता रहेगा यह सत्याग्रह ग्रहमदाबाद में, दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में चल सकता है इस देश की चप्पे-चप्पे जमीन को, मात-भूमि को, खंडित होने से बचाने के लिये। श्रव हमारे देश के जो सच्चे सपूत हैं वह आगे बढ़ेंगे और वह दिन दूर नहीं जब कि हमारे शीलभद्र याजी भी हमारे साथ आयेंगे। इन गब्दों के साथ मैं चाहुंगा कि जो अनि-मिततायें वहां बरती जा रही है उन पर सरकार फौरन से फौरन रोक लगाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. हिस्सा समर्पण करने जा रही है। BHARGAVA): Mr. Chitta Basu.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal); Mr. Vice-Chairman . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Be brief. It cannot be a debate.

SHRI CHITTA BASU: . . . only a few minutes. I want to know whether the करते हें तो हम खूब जानते हैं कि जो बुरा satyagrahls who are offering satye-graha in the Kutch a^vea are being given A class after being taken into custody because they are all members of certain political parties. It is also हैं उस कानून के तदनुरूप ही हमको सजा भी a movement which is of a democratic nature. People have got a right to express their point of view and even to offer satyagraha. May I know, Sir, whether the Government has given any instruction to treat these satyagrahi prisoners as A class prisoners. This is very necessary because of the democratic

> श्री जे० पी० यादव (बिहार): श्रीमन, मैं श्रापके सामने माननीय सदस्य श्री शेजवलकर जी की गिरफ्तारी के विषय में माननीय श्री भंडारी जी ने जो प्रश्न प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध मे दो शब्द निवेदन करना चाहता हं ग्रौर वह यह कि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्र-प्रेमी को यह अधिकार है कि अपने देश की एक इंच जमीन भी अगर दूसरे देश ने किसी भी कारण से हथियाई हो तो उसका विरोध करे और कोई भी जो विरोध करने वाला है वह राष्ट्रीय कहलायेगा ग्रौर वह विरोध करते हुये अपने जीवन तक का समर्पण कर सकता है अगर हम देखते हैं कि भारतवर्ष की सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार है, उसने समर्पण करने की नीति अपनाई है उसने सिर्फ देश का बटवारा ही नहीं किया बल्कि समर्पण भी किया, उसने चीनियों के हाथ ग्रपनी 20-25 हजार वर्गमील का समर्पण किया, काश्मीर का एक तिहाई भाग समर्पण किया, उसी तरह से बेरूबारी का समर्पण करने का प्रयास किया और वह ग्राज कच्छ के रन का 350 वर्ग मील का

इस समर्पण को रोकने के लिये ही मान-नीय सदस्य श्री शेजवलकर वहां पहुंचे और उनके साथ सैकड़ों सत्याग्रही भाग लेने के लिये गये लेकिन हमारी सरकार की यह नीति है कि जहां पर इस तरह की हमारी जमीन

घटने की बात होती है, जहां पर कोई देश के साथ हमारी जमीन को नोचता है, कोई विदेशी सूचना हमारी भूमि को दबोचता है तो वह शांति के पक्ष का समर्थन करते हैं। लेकिन जब वहां BHARG राष्ट्र का सेनानी जाता है तो जैसी कि कहावत Shukla.

है कि ग्रपने द्वार पर कुत्ता भी बलवान होता है, उसी तरह से ग्रपने घर में ग्रपने सत्याग्रहियों के साथ छेडखानी करते हैं।

श्रमी एक प्रश्न उठाया गया कि माननीय सदस्य ने शपथ ग्रहण नहीं किया। लेकिन
जब इस सदन से कियी माननीय सदस्य को
एम॰ पी॰ चुना जाता है तो उसकी एम॰ पी॰
बनने की विधिवत घोषणा सरकार द्वारा की
जाती है। तो यह श्रावश्यक था कि एम॰ पी॰
का सम्मान उनको मिलना ही चाहिये था,
और उनके साथ जाने वाले लोगों का भी
सम्मान होना चाहिये था, कारण कि वह
राष्ट्रीय सेनानी हैं, राष्ट्रीय सेनानियों का
सम्मान होता श्राया है और होना चाहिये।
मैं चाहता हूं सरकार इन सम्माननीय
सेनानियों के साथ जो गड़बड़ी की गई है,
श्रन्याय किया गया है उसकी जांच करे और
जिन लोगों ने श्रन्याय किया है उनको उचित

HE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Shukla, have you

anything to say?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Not on this.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: What about my question? यह जो माननीय शेजवलकर जी ने 27 तारीख को प्राहिबिटरी एरिया में प्रवेश किया और 28 को वह गिरफ्तार किये गये और उनके साय जो आदमी गए, सत्याग्रह करने के लिये, और हमारी जो जानकारी है कि दिन भर धूप में परेशान किया गया, पानी नहीं दिया गया, तो क्या यह केन्द्र की सूचना के अनुसार किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से इस बात की हमें संतुष्टि की जाय कि जो कुछ ब्यवहार वहां पर सत्याग्रहियों

Boundaries) Bill, 1968 के साथ किया जा रहा है इसमें केन्द्र की कुछ

क साथ किया जा रहा है इसम केन्द्र की कुछ सूचना है या नहीं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): You can find out Mr. Shukla.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, as far as my present information goes, this is not a fact. But in any case, since this matter has been raised in this House, I shall check up the position. But I do not think thig could be the position.

श्री जे० पी० यादव : मंत्री महोदय ने कहा, मुझे कोई सूचना नहीं है। एक ही सांस में वे सब चीजों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं और दूसरी सांस में कहते हैं सूचना नहीं है। तो दोनों में कौन बात सही है। ग्रगर उनको सूचना नहीं है और जो माननीय सदस्यों ने कहा वह ठीक नहीं है तो उन्हें दोनों में से एक बात को कहना चाहिये।

उपसभाष्यक्ष (श्री महाबीर प्रताद भागंव) : भ्रमी तो उनके पास यही सूचना है । बाकी पता करेंगे ।

T

THE BIHAR AND UTTAR PRA-DESH (ALTERATION OF BOUN-DARIES) BILLS, 1968.

मृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुल्क) : उपसभाष्ट्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हं कि :

"जिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

t["That the Bill to provide for the alteration of boundaries of the States of Bihar and Uttar Pradesh and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."]

t[] English translation.